प्रस्तावना

यह रिपोर्ट 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए मध्य प्रदेश की सरकारी कंपनियों और सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा के परिणामों से संबन्धित है।

सरकारी कंपनियों के लेखों (कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सरकारी कंपनियाँ मानी जाने वाली कंपनियाँ सहित) की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के प्रावधानों के तहत की जाती है। कंपनी अधिनियम के तहत सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षको (चार्टर्ड एकाउन्टेंट) द्वारा प्रमाणित लेखे, सीएजी के अधिकारियों द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा के अधीन होते है और सीएजी इस पर अपनी टिप्पणियाँ देते हैं अथवा सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों को पूर्ण करते है। इसके अतिरिक्त, ये कंपनियाँ सीएजी द्वारा इनकी नमूना लेखापरीक्षा करने के भी अधीन है।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 की धारा 19अ के तहत सरकारी कंपनियों एवं सांविधिक निगमों के लेखों से संबंधित प्रतिवेदनों को राज्य विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत करने हेतु सीएजी द्वारा शासन को प्रेषित किया जाता है।

इस प्रतिवेदन में वे प्रकरण उल्लेखित है, जो वर्ष 2017–18 की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आए, साथ ही वे भी जो पहले के वर्षों में संज्ञान में आए थे, लेकिन पिछली लेखापरीक्षा रिपोर्ट में प्रतिवेदित नहीं किए जा सके थे; 2017–18 के बाद की अवधि से संबन्धित मामलों को भी, यथा आवश्यक सम्मिलित किया गया है।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप संपादित की गयी है।